न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस

अपील संख्याः 71/25
(जीसीएमएस संख्या 2025/283)

निर्णय दिनांक 29-4-26

1. हेम सिंह पुत्र श्री सुमेर सिंह
2. कुन्दन सिंह पुत्र हेम सिंह
3. पारूल पुत्री हेम सिंह

} जाति राजपूत निवासी ग्राम सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. सुमेर सिंह पुत्र नारायण सिंह
2. इन्द्र कंवर पत्नी सुमेर सिंह

} जाति राजपूत निवासी ग्राम सुंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर

3. उच्छव कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी भूपेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी चक 24एस.टी.जी.पी. दुलमाणा तहसील पीलीबंगा।
4. आनन्द कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी गजेन्द्र सिंह जाति राजपूत निवासी बल्लर हाउस, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
5. जगदीश कंवर पुत्री सुमेर सिंह पत्नी धर्मवीर सिंह जाति राजपूत निवासी गायत्री मंदिर के पीछे, पुरानी गिन्नाणी, बीकानेर।
6. पुष्पा कंवर पत्नी प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी सूंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
7. चन्द्रिका पुत्री प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी सूंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
8. राज्यवर्द्धन सिंह पुत्र प्रेम सिंह जाति राजपूत निवासी सूंई तहसील लूणकरणसर जिला बीकानेर।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लूणकरणसर उपतहसील महाजन।

—रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

अपील विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर
दिनांक 29—07—2025

उपस्थितः
1. श्री जयचन्द लाल सारस्वत, अभिभाषक अपीलांट्।
2. श्री राजेन्द्र सिंह शिमला, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्।

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर के आदेश दिनांक 29—07—2025 जिसके द्वारा अपीलांट् के पक्ष में पारित आदेश दिनांक 24—09—2021 को निरस्त फरमाया है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि जैर अपील रकबा वाके रोही ग्राम सुंई स्थित खेत खसरा नंबर 107, 108, 196, 1164/185, 1153/744 पुश्तैनी नारायण सिंह का रकबा है। जो विरासतन अपीलांट के पिता सुमेर सिंह को प्राप्त हुआ है। जिसमे से कुछ रकबा अपीलांट की माता के नाम से है उक्त रकबे में अपीलांटगण संयुक्त रूप से काश्त करते आ रहे है। जिसे रेस्पोडेंट संख्या 1 जो अपीलांट के पिता है आगे किसी अजनबी क्रेता को विक्रय करने हेतु आमादा है। जबकि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 8 का हिस्सा पुश्तैनी अर्जीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र रिकॉर्ड के आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 को खातेदार अंकन को आधार मानकर पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 24–09–2021 को निरस्त कर दिया गया जो कि न्याय के प्रतिकुल नहीं होने से खारिज योग्य आदेश हैं। अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटगणा ने वा तमाम रिकार्ड व सबूत पेश किये है जिससे रकबा पुश्तैनी साबित होता के अलावा फौजदारी कार्यवाही में स्वयं रेस्पोडेंट संख्या 1 ने अपनी ही परिवाद में बयान किया है कि पिछले 15 वर्षो से उक्त रकबा की 75 बीघा भूमि पर अपीलांटगण काबिज होकर काश्त कर रहे है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने इस बयान के प्रतिकुल माईण्ड अप्लाई कर जैर अपील आदेश पारित कर दिया है। अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने से पूर्व दिनांक 27–07–2025 को अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उभयपक्ष उपस्थित लिखकर बहस सुने जाने हेतु दिनांक 29–07–2025 पेशी मुकर्रर है जबकी वकील प्रार्थी उक्त तिथी को राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर की कैम्प कोर्ट बीकानेर में हाजिर रहा है। अर्थात उक्त तिथि को प्रार्थी के वकील की अनुपस्थि में अधिनस्थ न्यायालय ने उन्हे उपस्थित बता कर मेलाफाईड इन्टेशन से जैर अपील आदेश पारित किया है। अतः जैर अपील आदेश निरस्त योग्य है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस को आगे जारी रखते हुए कथन किए की अपीलांट अपने पिता के विरूद्ध स्टे चाह रहा है पिता बेटियों व दामाद के बहकावे में आकर दावा में हिस्सा तय होना है। अतः तब तक रिकॉर्ड की यथास्थिति कर दी जावे।

4. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट संख्या 7 मुखबधिर है मुखबधिर को बिना वादमित्र के पक्षकार नहीं बनाया जा सकता तथा पक्षकार संख्या 8 नाबालिग है नाबालिग को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। अपीलांट के द्वारा जैरकार भूमि पैतृक सम्पति बाबत् किसी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट्स के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज है। कानूनन खातेदार के विरुद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट प्रथमदृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु साबित करने में असफल रहा है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स जमाबन्दी जोकि रिकार्ड ऑफ राईट्स के आधार पर वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, तथा वर्तमान तक वादग्रस्त भूमि

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

रेस्पोडेन्ट्स की बतौर खातेदारी भूमि चली आ रही है। ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार को असिमित समय तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत के समक्ष उक्त तथ्य साबित होने पर ही अदालत मातहत द्वारा पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त करते हुए अपीलांट् का धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। उक्त आदेश से अपीलांट् के अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई कुठाराघात नहीं होना है ना ही अपीलांट् को उक्त आदेश से किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली है। अदालत मातहत द्वारा प्रकरण में उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अतः अपीलांट् की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने धोषणात्मक दावा पेश किया तथा उसके साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया। अदालत मातहत द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर एकतरफा तौर पर अपीलांट् के पक्ष में दिनांक 24–09–2021 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करते हुए वादग्रस्त भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश प्रदान किये गये। दिनांक 29–07–2025 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज कर दी गई के खिलाफ अपील न्यायालय हाजा में पेश कि गई।

प्रस्तुत प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के निस्तारण पर विधि द्वारा स्थापित सिद्धान्तों के अनुरूप तीनों बिन्दुओं यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर विवेचन किया

गया। उक्त विवेचन अनुसार अपीलांट के तीनों बिन्दुओं की निम्न स्थिति हैः–

1. प्रथम दृष्टया मामलाः– अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबंदी खसरा संख्या 107, 108, 1164/85, व 196 के आधार पर रेस्पोडेंट उक्त अराजी जैर के रेकॉर्डेड खातेदार है अतः मामला रेस्पोडेन्ट के पक्ष में बनता है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि उक्त सम्पति अपीलांट की पैतृक सम्पति/सहदायिनी है। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों के अभाव में प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

2. सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षतिः– अभिकथनों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए व सुविधा की दृष्टि से इन दोनों बिन्दुओं पर निर्णय एक साथ किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्ध निर्णित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

किया जा चुका है। अपीलांट यह साबित करने में असफल रहे है कि अगर निषेधाज्ञा खारिज होती है तो उन्हे किस प्रकार अपूरणीय क्षति कारित होगी। अतः उक्त बहस व दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है ना ही सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। चूंकी रेस्पोडेंट रेकॉर्डेड खातेदार है अतः यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी रहती है। तो अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेंट को कारित होगी।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तीनों बिन्दु अपीलांट के विरूद्ध निर्णित किये जाने से अपीलांट् प्रस्तुत अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणकरणसर का आदेश दिनांक 29–07–2025 यथावत बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.4.26 को लिखाया सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर